

# संचालनालय पशुपालन

## मध्यप्रदेश, भोपाल

कामधेनु भवन, वैशाली नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

--: आदेश ::--

क्रमांक ६९९३...../स्था-अ/स्थानांतरण/2019

भोपाल, दिनांक 05/07/2019.....

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 के तहत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर स्थानांतरित कर अस्थायी रूप से आगामी अदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थानान्तरित स्थान	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	4	5	6
1	श्री परमलाल केवट	भेड़ चरवाहा	भेड़ विस्तार केन्द्र पृथ्वीपुर जिला- निवाडी	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र मिनौरा, जिला- टीकमगढ़	स्वयं
2	श्री नारायण सिंह	नंदीरक्षक	प.चि. हस्तिनापुर जिला- ग्वलियर	पशु औषधालय रावतपुरा जिला-भिण्ड	स्वयं
3	श्री तरुण कोहरे	भृत्य	प.चि. शिवपुर जिला- होशंगाबाद	जिला बालाघाट	स्वयं
4	श्री रमेश सिंह यादव	भृत्य	प.ओ. घटबोरी जिला- धार	जिला भिण्ड	स्वयं
5	श्री दीपक यादव	भृत्य	जिला कार्यालय उप संचालक इन्दौर	जिला शिवपुरी	स्वयं
6	श्री सुखेन्द्र सिंह गहरवार	भृत्य	प.चि. हिनौती जिला- सीधी	न्यू देवराजनगर जिला- सतना	स्वयं

वे अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विच्छता जिले में उपस्थिति दिनांक से मान्य होगी।

टीका :- स्थानांतरित कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-6-1/2019/एक/9, भोपाल दिनांक 04.06.2019 की कण्डिका-14, 15, 15(1) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि दो सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित सत्यावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि में स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा, एवं कण्डिका-16 स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वार्डन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।

( डॉ. आर.के. रोकड़े )

संचालक

पशुपालन म0प्र0 भोपाल

क्रमांक ६११५/स्था-अ/स्थानांतरण/२०१९

भोपाल, दिनांक ०५/०७/२०१९

प्रतिलिपि:- सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ ..... ०प्र०।
4. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, ..... म०प्र०। कृपया स्थानान्तरण नीति वर्ष २०१९-२० के समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
5. संबंधित श्री..... द्वारा उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ ..... म०प्र०।

  
संचालक

पशुपालन म०प्र०, भोपाल

संचालनालय पशुपालन

मध्यप्रदेश, भोपाल

कामधेनु भवन, वैशाली नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

--: आदेश ::-

क्रमांक 6991/स्था-अ/स्थानांतरण/2019

भोपाल, दिनांक 05/07/2019

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 के तहत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर स्थानांतरित कर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	स्थानान्तरित स्थान	स्वयं/ प्रशा.
1	2	3	4	5	6
1	श्री धरमदास प्रजापति	सांडरक्षक	प.चि. चूकान जिला- अनूपपुर	जिला शहडोल	स्वयं
2	श्री देवप्रताप वर्मा	भृत्य	प.चि. चक्लदी जिला- सीहोर	पशु चिकित्सालय सांडिया जिला होशंगाबाद	स्वयं
3	श्री यशपाल सिंह रघुवंशी	पशु परिचारक	प.औ. अटलपुर जिला- शिवपुरी	प.औ. रावसर जागीर जिला- अशोकनगर	स्वयं
4	श्री मोहम्मद नदीम	भृत्य	प.चि. परवलिया सडक भोपाल	राज्य स्तरीय रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल	स्वयं
5	श्रीमती केशर बाई	पशु परिचारक	ज.प.प्र.प्र. भदभदा भोपाल	कृ.ग.प्र.के. भोपाल	स्वयं
6	श्री अब्दूल वहाब मंसूरी	भृत्य	जिला कार्यालय उज्जैन	पशु चिकित्सालय सांवेर जिला इन्दौर	स्वयं

वे अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्षा जिले में उपस्थिति दिनांक से मान्य होगी।

टीप :- स्थानांतरित कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-6-1/2019/एक/9, भोपाल दिनांक 04.06.2019 की कण्डिका-14, 15, 15(1) में निहित प्रावधान अनुसार स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि दो सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि में स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा, एवं कण्डिका-16 स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जावेगा।

( डॉ. आर.के. रोकड़े )

संचालक

पशुपालन म0प्र0 भोपाल